शैक्षणिक सत्र **2016-2017** में ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन भरते समय विद्यार्थी निम्न बातों का ध्यान रखें|

1. जिन आवेदकों ने पिछले शैक्षणिक सत्रों में पंजीकरण कराया है उन्हें दुबारा पंजीकरण नहीं करना है| ऐसे आवेदक अपना लॉगिन का प्रयोग कर सीधे वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2016-2017 के लिए छात्रवृत्ति आवेदन दे सकते है या फिर छात्रवृत्ति आवेदन का नवीनीकरण कर सकते है|
2. छात्रवृत्ति आवेदन में दी गई जानकारी की ज़िम्मेदारी आवेदक की है| छात्रवृत्ति आवेदन में किसी भी जानकारी को संस्था या फिर समाज कल्याण विभाग के पास अद्यतन करने को कोई भी अधिकार नहीं है| अगर आवेदक ने छात्रवृत्ति आवेदन में गलत जानकारी दी है तो आवेदक ही इस के लिए उत्तरदायी होगा तथा कोई भी संशोधन के लिए किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा|
3. **आधार संख्या** वर्तमान सत्र से **आवश्यक** है | बिना आधार संख्या के कोई भी छात्रवृत्ति आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा | गलत आधार संख्या दर्ज करने पर छात्रवृत्ति आवेदन को स्थायी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और निरसन की कोई भी जानकारी अलग से आवेदक को नहीं दी जाएगी|
4. विगत शैक्षणिक सत्र 2015-2016 में **स्थायी रूप से निरस्त/डुप्लीकेट** छात्रवृत्ति आवेदनों का नवीनीकरण नहीं होगा. ऐसे आवेदकों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2016-2017 के लिए नया छात्रवृत्ति आवेदन प्रस्तुत करना होगा.
5. आवेदक को छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म में अपना नाम , पिता/पति का नाम , श्रेणी, संस्था का नाम , स्थायी /वर्तमान पता तथा बैंक की जानकारी स्पष्ट तौर पर पूर्ण होने चाहिये. अन्यथा छात्रवृत्ति आवेदन को स्थायी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और निरसन की कोई भी जानकारी अलग से आवेदक को नहीं दी जाएगी|
6. आवेदक को खुद या फिर माता-पिता/ अभिभावक का मोबाईल नंबर का प्रयोग करना है. संस्था या फिर किसी दूसरे व्यक्ति का मोबाईल नंबर दर्ज होने पर छात्रवृत्ति आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा|
7. छात्रवृत्ति आवेदन को सेव (Save) करने से पहले सभी जानकारियों को जांच लें एक बार छात्रवृत्ति आवेदन सेव (Save) हो जाने पर आवेदक का नाम, माता-पिता/पति /अभिभावक का नाम , संस्था का नाम आदि को बदलने के सुविधा नहीं रहेगी तथा इस कार्य के लिए कोई भी प्रार्थना पत्र/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा|
8. आवेदक को अपने सभी दस्तावेजों को सुपाठय एंव स्पष्ट दृश्यता के साथ स्कैन करना चाहिये| अस्पष्ट, धुंधले तथा आधे अधूरे दस्तावेजों के अपलोड होने पर छात्रवृत्ति आवेदन को स्थायी/अस्थायी तौर पर निरस्त कर दिया जावेगा |